न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2485–एक/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–9–2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक 109/99–2000 निगरानी.

खातरिया पिता मनिया मृतक
तर्फे वारिस :–
बाबू पिता मनिया
निवासी ग्राम नंदलालपुरा मांडव
तहसील एवं जिला धार ....आवेदक

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन
2– अंतरबाई पति पदमसिंह
निवासी ग्राम पड़ीयाल
तहसील कुक्षी जिला धार ....अनावेदकगण

श्री पी0जी0 पाठक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिाषक, अनावेदक क0 1
श्री राजेश महन्त, अभिभाषक, अनावेदक क0 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/2/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–9–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का नम्बर 78 द्वारा तहसीलदार, धार के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नंदलालपुरा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 34, 44, एवं 46 (पुराना सर्वे नम्बर 17, 27, 28, 29, 31) रकबा 2.820 हेक्टेयर थावरी पिता गोबरिया को कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे पर दी गई थी, और पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि सरदार सिंह को विक्रय कर दी गई । वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में केता का नाम दर्ज है । तहसीलदार द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर, जिला धार को इस आशय

का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियां पट्टे की हैं, और पट्टाधारी द्वारा बिना कलेक्टर की अनुमति के भूमि विक्रय किया गया है, इसलिए संहिता की धारा 165 (7–ख) का उल्लंघन हुआ है । अतः प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर पट्टा निरस्त किया जाये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/98–99/निगरानी दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कलेक्टर द्वारा दिनांक 15–5–2000 को प्रकरण अपर कलेक्टर, धार को सुनवाई हेतु स्थानांतरित किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 46/99–2000/निगरानी दर्ज कर दिनांक 7–8–2000 को आदेश पारित किया जाकर पट्टा निरस्त करते हुए भूमि शासकीय घोषित की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–9–2000 को आदेश पारित निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस वैधानिक स्थित पर कोई विचार नहीं किया गया है कि स्वमेव निगरानी में केवल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता एवं अनियमितता के संबंध में जांच की जा सकती है, इस कारण अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रचलन योग्य नहीं थी । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 165 (7) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उक्त धारा के विपरीत किये गये नामांतरण को शून्य घोषित किया जा सके । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा प्राप्त होने के पश्चात विक्रेता को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे, और पट्टा अस्तित्व में ही नहीं रह गया था, इस स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किय गया कि प्रश्नाधीन भूमि क्रेता द्वारा क्रय कर लिये जाने के कारण उसका नामांतरण भी हो गया था, अतः अपर कलेक्टर द्वारा पट्टा निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है, और अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि पट्टाधारी द्वारा बिना समक्ष अधिकारी की अनुमति लिये भूमि विक्रय की गई है, जो कि संहिता की धारा 165 (7) का उल्लंघन है, अतः अपर कलेक्टर द्वारा पट्टा निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों को समर्थन दिया गया । उनके द्वारा एक सप्ताह में लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया जाना थे, परन्तु आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमियां थावरी पिता गोबरिया को कृषि प्रयोजन हेतु शासकीय पट्टे पर दी गई है, और संहिता की धारा 165 (7–ख) के अंतर्गत शासकीय पट्टे की भूमि को बिना कलेक्टर की अनुमति के विक्रय नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि पट्टेदार आदिवासी है, और आदिवासी को पट्टे पर भूमि देने का उद्देश्य उसके जीवन यापन को उन्नत बनाना है, और यदि कोई आदिवासी शासकीय पट्टे की भूमि को बेचने का कार्य करता है, तब यह माना जायेगा कि वह आर्थिक रूप से सक्षम है, और उसे शासकीय पट्टे की आवश्यकता नहीं है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए संहिता की धारा 165 (7–ख) में प्रावधान कर शासकीय पट्टे की भूमि को कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय किए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, और शासकीय पट्टेदार थावरी द्वारा बिना कलेक्टर की अनुमति के भूमि विक्रय किया गया है, अतः कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के किये गये विक्रय को शून्य घोषित करते हुए पट्टा निरस्त किया जाकर भूमि शासकीय घोषित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, तथा कलेक्टर के वैधानिक एवं उचित आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–9–2000 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर